न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—168/2018 (जीसीएमएस नं. 2018/00193)

1. रामजीलाल पुत्र चुन्नीलाल, जाति कंजर, निवासी लाहा का बास, तहसील थानागाजी, जिला अलवर राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. मांगेलाल उर्फ मांगीलाल उर्फ मांगा पुत्र चुन्नेलाल, जाति कंजर निवासी लाहा का बास तसील थानागाजी जिला अलवर, राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर, राजस्थान।

—— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. श्री हरीप्रसादद जांगिड़, एडवोकेट अपीलान्अ की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 15.11.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 07.11.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध एक दावा तकमील मुहायदा बरूए इकरारनामा दिनांक 28.12.1996 के इस अमर के कि प्रतवादी हाल खसरा नम्बर 346 रकबा 0.7600 हैक्टयर बारानी तृतीय वे लाहा का बास तहसील थानागाजी जिला अलवर का बयनामा वदी अपीलान्ट के हक में तहरीर व तकमील कराने हेतु प्रस्तुत किया जिसमें अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के उक्त विवादित आराजी को मांगीलाल पुत्र श्री चुन्नेलाल के नाम से क्रय किया गया था परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा आज दिनांक तक अपीलान्ट के हक में उक्त बयनामें को रजिस्टर्ड नही बरवाया। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने जानबुझकर अपीलान्ट को धोखा देने की नियत से एवं अपीलान्ट की उक्त भूमि की एवज मे दी गई राशि को हड़प किये जाने की नियत से दिनांक 12.05.2017 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर उपरोक्त प्रार्थना पत्र गलत नाम मांगेलाल पुत्र सुवालाल करते हए अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट साफ हाथों से न्यायालय के समक्ष नही आया बल्कि छलकपट करते हुये यह तथ्य छुपाया कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सिविल न्यायालय में उपरोक्त दावा तकमील मुहायदा पंजीबद्ध कराने का प्रस्तुत कर रखा है जो अभी विचाराधीन है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 दिनांक 19.01.2018 को उक्त दावे में पक्षकार बनने बाबत प्रस्तुत किया तथा उसमें निवेदन किया कि उक्त आराजी जिसका पट्टा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट के पिता का नाम सुवालाल न होकर चुन्नालाल (चुन्नेलाल), सुवालाल नाम का अन्य दीगर व्यक्ति है रेस्पोडेन्ट के पिता का नाम सुवालाल नही है जिसने उक्त प्राथ्ना पत्र की सुनवई बाबत आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.01.2018 नियत की गई परन्तु किसी कारणवश सुनवाई नही हो सकी और अधीनस्थ न्यायालय ने आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.04.2018 नियत की तथा अपीलान्ट को आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.04.2018 नोट करवा दी गई तथा बाद में अपीलान्ट के चले जाने के बाद रेस्पोडेन्ट ने कोर्ट रीडर से मिलीभगत कर उक्त तारीख पेशी दिनांक 09.04.2018 के स्थान पर दिनांक 19.02.2018 बदलवा दी तथा दिनांक 19.02.2018 को रेस्पोडेन्ट की एक तरफा बहस सुनकर अपीलान्ट को बिना किसी सूचना व बिना अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता उपस्थित हुए उपस्थिति दर्ज कर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 सी.पी.सी. खारिज फरमा दिया गया एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.02.2018 दी गई तथा जानबुझकर अधीनथ न्यायालय द्वारा न्याय के सिद्धान्तों पर बिना गौर फरमाऐ ही महज पांच दिनों में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 खारिज कर आनन–फानन मे पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो का बिना अवलोकन किये ही उक्त अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2018 को व रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है एवं अपीलान्ट काक प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. भी स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट एवं

...य आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट थानागाजी जिला अलवर के समक्ष दावा तकमील मुहायदा बरूये इकरारनामा दिनांक 28.12.1996 आराजी खसरा नम्बर 346 रकबा 0.7600 हैक्टयर बारानी वाके लाहा का बास तहसील थानागाजी विचाराधीन है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के तसक्ष उक्त तथ्य को छुपाया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 खारिज कर दिये जाने से अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष अपना पक्ष नही रख पाये है जिससे प्रकरण की वास्तविक स्थिति अधीनस्थ न्यायलय के सामने नही आ सकी है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।